निगरानी / एलआर/983/ 2005/ जोधपुर
सरकार बनाम घेवरदास

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
04-3-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** ———— उपस्थित :– उप राजकीय अभिभाषक श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित **आदेश** 1. यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–8–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करवड की विवादित आराजी खसरा नबंर 417 रकबा 5 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार जोधपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाहीं करते हुये बेदखली व शास्ती आरोपित किये जाने का निर्णय पारित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने प्रथम अपील जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आदेश दिनांक 22–6–04 द्वारा खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 5–8–04 द्वारा स्वीकार कर नियमन बाबत् निर्देश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व कानून के विरूद्ध हैं। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की स्थिति में अप्रार्थीगण को बेदखली एवं शास्ती से दण्डित किया गया है। नायब तहसीलदार के आदेश को जिला कलेक्टर ने विधिसम्मत् माना है तथा अप्रार्थीगण की अपील खारिज की है। अपीलीय न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुये राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के नियमन के आदेश त्रुटिपूर्ण पारित किये है। प्रकरण मात्र धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत था। नियमन कार्यवाहीं का प्रावधान अलग है। राज्य सरकार द्वारा नियमन बाबत् जारी परिपत्रों की मंशा के विपरीत अतिक्रमी को बेदखल किये जाने बाबत् पारित आदेश को निरस्त कर नियमन बाबत् निष्कर्ष अंकित करने में अपीलीय प्राधिकारी ने अपने में निहित शक्तियों को दुरूपयोग किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर का आलोच्य आदेश निस्त किया जावे। 4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की स्थिति में उनके खिलाफ नायब तहसीलदार जोधपुर ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर बेदखली एवं जुर्माना की कार्यवाहीं के आदेश दिये है। जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट अंकित किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि उनका मकान 35–40 वर्ष पुराना हो। नायब तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण को प्रारूप सं. (क) नियम (3) के तहत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये गये जिनकी तामील विधिवत् रूप से कराई गई, किंतु वे तहसीलदार के समक्ष अनुपस्थित रहे। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड से अतिक्रमण किया जाना साबित है। नायब तहसीलदार जोधपुर के अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश का जिला कलेक्टर द्वारा विवेचन एवं विश्लेषण के साथ अपने निर्णय से समर्थन किया है। अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजी राजकीय भूमि होना तथा अप्रार्थीगण का पक्का निर्माण होना माना है। किंतु अपीलीय न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.10.01 के अनुसार सरकारी भूमि पर 1–7–89 के पूर्व के आवास एवं बाडे बनाकर किये गये अतिक्रमण को नियमन किये जाने के प्रावधान होने से अप्रार्थीगण के राजकीय भूमि पर किये गये निर्माण को नियमन संबंधी कार्यवाहीं किये जाने के निर्देश दिये है। प्रकरण धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत विचाराधीन था तथा नायब तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर ने अप्रार्थीगण का अतिक्रमण पुराना नहीं माना है एवं न ही अप्रार्थीगण अपने निर्मित मकान को 35–40 वर्ष पुराना होना साबित कर पाये है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण में नियमन की कार्यवाहीं के निर्देश दिये जाने को विधि संगत एवं युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता। अतः राजस्व प्राधिकारी जोधपुर का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। 7. परिणामतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर का निगरानीधीन आदेश दिनांक 5–8–04 निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार जोधपुर का निर्णय दिनांक 19–8–03 एवं जिला कलेक्टर जोधपुर का निर्णय दिनांक 22–6–04 यथावत रखे जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	

निगरानी / एलआर/983/ 2005/ जोधपुर
सरकार बनाम घेवरदास